प्रारूप—डी

न्यायालय— अनन्यतः विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

(समक्ष : रवि झारोला)

Registration No- SC ATR/221/2022
Filing No-SC ATR/2419/2022
CNR No. MP10010029712022
Filing Date- 29.09.2022
Registration Date-13.10.2022

निर्णय दिनांक— 14.08.2025

विशेष सत्र एट्रोसिटी प्रकरण क्रमांक—221/2022

पुलिस थाना खरगोन के अपराध क्रमांक 395/2022 अंतर्गत धारा 363, 363/109, 366, 368, 368/109, 344, 344/109, 376, 376(3), 376(2)(एन) भा.द.सं. एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(ii), धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा 3(1)(w)(i), 3(2)(v), 3(2)(v-a) अजा और अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

अभियोगी	मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री पी.एस. अलावा, विशेष लोक अभियोजक ।
अभियुक्तगण	01. गोलु उर्फ गोलमाल पिता नरेन्द्र सोनी, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी तपस्वी मंदिर के पास, पहाड़सिंगपुरा, जिला खरगोन (म.प्र.) **(बाल अपचारी अभिनिर्धारित कर पृथक किया गया)** 02. नरेन्द्र पिता राधेश्याम सोनी, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी तपस्वी मंदिर के पास, पहाड़सिंगपुरा, जिला खरगोन (म.प्र.)

	03. सुशीलाबाई उर्फ चांगलीबाई पति नरेन्द्र सोनी, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी तपस्वी मंदिर के पास, पहाड़सिंगपुरा, जिला खरगोन (म.प्र.) 04. संगीताबाई सहिते पति मदन चौहान, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी इंदिरा नगर, खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.) 05. मोहन पिता शोभाराम चौहान, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी इंदिरा नगर, खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अभियुक्तगण द्वारा :— श्री ए.व्ही वर्मा, अधिवक्ता।

प्रारूप—ई

घटना की दिनांक—	27.06.2022
एफ.आई.आर. दिनांक—	28.06.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक—	13.10.2022
आरोप विरचना की दिनांक—	25.11.2022
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक	21.12.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	14.08.2025
निर्णय दिनांक—	14.08.2025
दण्डादेश की दिनांक, यदि कोई हो—	निरंक

अभियुक्तगण का विवरण

क्रं.	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दप्रस का प्रमाण पत्र हेतु अभियुक्त द्वारा बितायी गयी अभिरक्षा की अवधि
1	नरेन्द्र पिता राधेश्याम	30.08.2022	18.11.2022	धारा 363 विकल्पतः 363 / 109, 368 विकल्पतः 368 / 109 एवं धारा 344 विकल्पतः 344 / 109 भा0द0सं0	दोषमुक्त	निरंक	कुल **80** दिवस

2	सुशीलाबाई उर्फ चांगलीबाई पति नरेन्द्र	30.08.2022	18.11.2022	धारा 363 विकल्पतः 363 / 109, 368 विकल्पतः 368 / 109 एवं धारा 344 विकल्पतः 344 / 109 भा.द.सं.	दोषमुक्त	निरंक	कुल 80 दिवस
3	संगीताबाई सहिते पति मदन चौहान	12.09.2022	16.09.2022	धारा 363 विकल्पतः 363 / 109 भा.द.स.	दोषमुक्त	निरंक	कुल 04 दिवस
4	मोहन पिता शोभाराम	12.09.2022	22.09.2022	धारा 363 विकल्पतः 363 / 109 भा.द.स.	दोषमुक्त	निरंक	कुल 10 दिवस

प्रारूप—एफ
अभियोजन / बचाव / न्यायालयीन साक्षीगण की सूची :—

ए—अभियोजन साक्षीगण :—

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्षी की साक्ष्य का प्रकार
अ.सा.1	पीड़िता	पीड़िता स्वयं
अ.सा.2	पीड़िता की माता	धारा 161 द.प्र.सं. के कथन
अ.सा.3	पीड़िता का पिता	धारा 161 द.प्र.सं. के कथन
अ.सा.4	हेमेन्द्र गुप्ता	स्कूल रिकार्डधारी साक्षी
अ.सा.5	गुलाबसिंह मण्डलोई	पीड़िता की जाति के संबंध में सहायक ग्रेड—3
अ.सा.6	डॉ. रानु रघुवंशी	पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाली चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.7	धर्मेन्द्र सिंह	अनुसंधानकर्ता साक्षी
अ.सा.8	सियाराम डावर	अनुसंधानकर्ता साक्षी
अ.सा.9	पूजा मोरे	चिकित्सक साक्षी
अ.सा.10	भोजराज परमार	अनुसंधानकर्ता साक्षी
अ.सा.11	बी.एल. मण्डलोई	अनुसंधानकर्ता साक्षी

अ.सा.12	प्रेमसिंह सेमले	अनुसंधानकर्ता साक्षी

बी—बचाव साक्षीगण की सूची :—

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्षी की साक्ष्य का प्रकार
निरंक	निरंक	निरंक

सी—न्यायालयीन साक्षीगण की सूची :—

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्षी की साक्ष्य का प्रकार
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/बचाव/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची :—

ए— अभियोजन द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची :—

क्रमांक	प्रदर्शित क्रमांक एवं दिनांक	दस्तावेज का विवरण
1	प्रदर्श पी.1/24.01.2023	पीड़िता के दस्तयाब करने का पंचनामा
2	प्रदर्श पी.2/24.01.2023	पीड़िता का सुपुर्दनामा
3	प्रदर्श पी.3/24.01.2023	तस्दीक पंचनामा
4	प्रदर्श पी.4/24.01.2023	तस्दीक पंचनामा
5	प्रदर्श पी.5/24.01.2023	पीड़िता के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन
6	प्रदर्श पी.6/24.01.2023	पीड़िता के पुलिस कथन
7	प्रदर्श पी.7/07.04.2025	प्रथम सूचना रिपोर्ट
8	प्रदर्श पी.8/07.04.2025	गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण
9	प्रदर्श पी.9/07.04.2025	घटनास्थल का नक्शामौका
10	प्रदर्श पी.10/07.04.2025	पीड़िता की एम.एल.सी. रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी.11/07.04.2025	पीड़िता का एम.एल.सी. प्रारूप
12	प्रदर्श पी.12/07.04.2025	पीड़िता को जन्म प्रमाणपत्र
13	प्रदर्श पी.13/07.04.2025	जप्ती पंचनामा दिनांक 30.08.2022
14	प्रदर्श पी.14/07.04.2025	अभियुक्त सुशीला का गिरफ्तारी

		पंचनामा
15	प्रदर्श पी.15 / 07.04.2025	अभियुक्त नरेन्द्र का गिरफ्तारी पंचनामा
16	प्रदर्श पी.16 / 07.04.2025	पीड़िता का डी.एन.ए. आथेंटिकेशन फार्म
17	प्रदर्श पी.17 / 07.04.2025	पीड़िता का जाति प्रमाणपत्र
18	प्रदर्श पी. 18 / 07.04.2025	पीड़िता की माता के पूरक पुलिस कथन
19	प्रदर्श पी. 19 / 07.04.2025	जप्ती पंचनामा दिनांक 16.07.2022
20	प्रदर्श पी. 20 / 07.04.2025	पीड़िता के पिता के पूरक पुलिस कथन
21	प्रदर्श पी. 21सी / 28.04.25	पीड़िता के स्कॉलर रजिस्टर की छायाप्रति
22	प्रदर्श पी.22 / 28.04.2025	पीड़िता की शाला का जन्म दिनांक के संबंध में प्रमाण पत्र
23	प्रदर्श पी.23 / 20.06.2025 (धारा 294 द.प्र.सं. के तहत स्वीकृत दस्तावेज)	पार्षद द्वारा जारी बाल आपचारी बालक की जाति के संबंध में प्रमाणपत्र
24	प्रदर्श पी.24 / 15.07.2025	जप्ती पंचनामा दिनांक 30.08.2022
25	प्रदर्श पी.24 / 05.08.2025 (त्रुटिवश पुनः प्रदर्श पी.24 अंकित)	तस्दीक पंचनामा दिनांक 02.10.2022
26	प्रदर्श पी.25 / 15.07.2025	जप्ती पंचनामा दिनांक 30.08.2022
27	प्रदर्श पी.25 / 05.08.2025 (त्रुटिवश पुनः प्रदर्श पी.25 अंकित)	अभियुक्त संगीता का गिरफ्तारी पंचनामा
28	प्रदर्श पी.26 / 05.08.2025	अभियुक्त मोहन का गिरफ्तारी पंचनामा
29	प्रदर्श पी.27 / 05.08.2025	पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हेतु मुलाहिजा फार्म

30	प्रदर्श पी.28 / 05.08.2025	बाल अपचारी का मेडिकल परीक्षण हेतु मुलाहिजा फार्म
31	प्रदर्श पी.29 / 05.08.2025	बाल अपचारी का डी.एन.ए. ऑथेंटिकेशन फार्म
32	प्रदर्श पी.30 / 06.03.2025	जप्तशुदा आर्टिकलों को डी.एन.ए. जांच परीक्षण हेतु भेजे जाने का ड्राफ्ट
33	प्रदर्श पी.31 / 05.08.2025	जप्तशुदा आर्टिकलों को भेजे जाने संबंधी प्राप्त पावती रसीद
34	प्रदर्श पी.32 / 05.08.2025	डी.एन.ए. रिपोर्ट
35	प्रदर्श पी.33 / 05.08.2025	पीड़िता व बाल अपचारी बालक के ब्लड सैंपल व जिला अस्पताल की नमूना सील का जप्ती पंचनामा
36	प्रदर्श पी.34 / 05.08.2025	जप्ती पंचनामा दिनांक 05.07.2023

बी–बचाव पक्ष द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची :–

क्रमांक	प्रदर्शित क्रमांक एवं दिनांक	दस्तावेज का विवरण
1	निरंक	निरंक

सी–न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची :–

क्रमांक	प्रदर्शित क्रमांक एवं दिनांक	दस्तावेज का विवरण
	निरंक	

आवश्यक वस्तुओं की सूची :–

क्रमांक	प्रदर्शित क्रमांक एवं दिनांक	वस्तु का विवरण
	निरंक	

पुलिस थाना मण्डलेश्वर के अपराध क्रमांक 395/2022 अंतर्गत धारा 363, 363/109, 366, 368, 368/109, 344, 344/109, 376, 376(3), 376(2)(एन) भा.द.सं. एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(ii), धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा 3(1)(w)(i), 3(2)(v), 3(2)(v-a) अजा और अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से उद्भूत विशेष सत्र एट्रो. प्रकरण।

नोटः— धारा 228 ए भा0द0सं0 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत भूपेंद्रसिंह विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य (2003) 8 एस. सी.सी. 551 तथा निपुन सक्सेना विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (2019) 2 एस.सी.सी. 703 के परिप्रेक्ष्य में एवं धारा 33 (7) पॉक्सो एक्ट 2012 के पालन में अभियोगी बालिका होने के कारण विचारण के दौरान बालिका की पहचान प्रकट न हो इसलिए उसके नाम का उल्लेख नहीं किया जा रहा है, अतः उसे ''पीड़िता'' के रूप में संबोधित किया जाएगा तथा पीड़िता के माता—पिता, ग्राम तथा अन्य रिश्तेदारों के नाम का भी उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

::: नि र्ण य :::
(आज दिनांक 14.08.2025 को घोषित किया गया)

01— उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण नरेन्द्र, सुशीलाबाई एवं संगीताबाई और मोहन के विरूद्ध धारा 363 विकल्पतः 363/109, तथा अभियुक्तगण नरेन्द्र और सुशीलाबाई पर धारा 368 विकल्पतः 368/109 एवं 344 विकल्पतः 344/109 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंनें दिनांक 27.06.2022, समय 00:15—06:00 बजे स्थान फरियादी का घर, इंदिरा नगर उमरखली रोड, खरगोन से अप्राप्तवय पीड़िता को विधिपूर्ण संरक्षकता से, संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाकर उसका व्यपहरण

किया अथवा ऐसे व्यपहरण का दुष्प्रेरण किया और नरेन्द्र व सुशीलाबाई ने ऐसा व्यपहरण पीड़िता से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे विवश या विलुब्ध किया जायेगा, पीड़िता को जयपुर राजस्थान में सदोष रूप से छिपाया या परिरोध में रखा अथवा ऐसे परिरोध का दुष्प्रेरण किया तथा अप्राप्तवय पीड़िता का दस से अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध कारित किया अथवा ऐसे परिरोध का दुष्प्रेरण किया।

02— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.2022 को पीड़िता की माता ने पुलिस थाना खरगोन, जिला खरगोन में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 26.06.2022 की रात्री को उसके परिवार वाले बाहर के रूम में एवं उसकी दोनों लड़की व लड़का पीछे वाले रूम में सोये थे। अगले दिन सुबह 06:00 बजे उठकर देखा तो उसकी लड़की पीड़िता बिस्तर में नहीं थी, फिर उसने व परिवार वालों ने आसपास व रिश्तेदारी में तलाश किया, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। उसकी लड़की पीड़िता को कोई बहला फुसलाकर, भगाकर ले गया। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना खरगोन द्वारा अपराध क्रमांक 395/2022 अंतर्गत धारा 363 भा.द.सं. की एफ. आई.आर. (प्रदर्श पी—7) पंजीबद्ध किया गया।

03— विवेचना के दौरान अनुसंधानकर्ता भोजराज परमार (अ.सा.10) ने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शामौका (प्रदर्श पी—09) पीड़िता की माता की निशादेही से तैयार किया। तत्पश्चात पीड़िता की माता से पीडिता का जन्म प्रमाणपत्र प्रदर्श पी—12 का जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—13 तैयार किया गया। पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—17 एवं पीड़िता की उम्र के संबंध में खरगोन स्थित स्कूल से स्कॉलर रजिस्टर की सत्यापित प्रति

(प्रदर्श पी. 21सी) प्राप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–19) तैयार किया। तत्पश्चात दिनांक 30.08.2022 को पीड़िता को बाल अपचारी बालक के कब्जे से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा (प्रदर्श पी 01) तैयार किया गया और पीड़िता की माता के सुपुर्द कर सुपुर्दगी पंचनामा प्रदर्श पी–02 तैयार किया गया।

03अ– अग्रिम विवेचना के दौरान दिनांक 30.08.2022 को ही अभियुक्त सुशीलाबाई व नरेन्द्र को एवं दिनांक 12.09.2022 को अभियुक्त संगीताबाई व मोहन को गिरफ्तार कर गिरफतारी पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–14, प्रदर्श पी–15, प्रदर्श पी–25(त्रुटिवश पुनः प्रदर्श पी.25 अंकित) एवं प्रदर्श पी–26 तैयार कर विवेचना के दौरान बाल अपचारी बालक तथा पीड़िता का डी.एन.ए. परीक्षण हेतु रक्त नमूना लिये जाने का आवेदन प्रदर्श–पी. 16 व प्रदर्श पी.–29 तैयार किये।

03ब– तत्पश्चात डॉ. रानू रघुवंशी (अ.सा.06) के द्वारा पीड़िता एवं बाल अपचारी बालक की पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत डी.एन.ए. परीक्षण हेतु उनके रक्त नमूने लिये जाकर डी.एन.ए. ऑथेन्टिकेशन फार्म क्रमशः प्रदर्श पी.–16 व प्रदर्श पी.29 तैयार किये, जो नमूने सीलबंद कर दिये जाने पर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–33 व प्रदर्श पी–34 के माध्यम से उनकी जप्ती की गई। तत्पश्चात कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, जिला खरगोन के ड्राफ्ट क्रमांक 423/2023 दिनांक 05.07.2023 के माध्यम से एफ.एस.एल. राउ, जिला इंदौर की ओर बाल अपचारी बालक एवं पीड़िता का ब्लड सेम्पल व जप्तशुदा आर्टिकल सभी को डी.एन.ए. जांच हेतु प्रेषित किया गया, जिसका ड्राफ्ट पत्र प्रदर्श पी–30 होकर पावती रसीद प्रदर्श पी–31 है। जिनकी डी.एन.ए. रिपोर्ट प्रदर्श पी–32 प्राप्त हुई। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग

पत्र उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र एवं सुशीलाबाई के विरूद्ध धारा 363 विकल्पतः 363/109, धारा 368 विकल्पतः 368/109 एवं 344 विकल्पतः 344/109 भा.द.सं. तथा अभियुक्त संगीताबाई व मोहन के विरूद्ध धारा 363 विकल्पतः धारा 363/109 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये, जिन्हें पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण की ओर से आरोप अस्वीकार किये गये और विचारण चाहा। विचारण के दौरान आदेश पत्रिका दिनांक 11.01.2025 के अनुसार मुख्य आरोपी/बाल अपचारी के विधि का उल्लंघनकर्ता बालक अभिनिर्धारित कर उसका प्रकरण पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड की ओर प्रेषित किया गया है। शेष अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाकर अंतिम तर्क के समय यह प्रकट किया गया है कि वे निर्दोष है और उन्होने कोई अपराध कारित नहीं किया है।

05— इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

अ— क्या घटना दिनांक 27.06.2022 को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की बालिका रही है ?

ब— क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक व घटना अवधि के दौरान अप्राप्तवय पीड़िता को विधिपूर्ण संरक्षकता से, संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाकर उसका व्यपहरण किया और ऐसा व्यपहरण उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय व जानकारी से किया अथवा ऐसे व्यपहरण का दुष्प्रेरण किया ?

स– क्या अभियुक्तगण नरेन्द्र और सुशीलाबाइ ने उक्त घटना दिनांक व घटना अवधि के दौरान पीड़िता को निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से निवारित कर उसका दस से अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध कारित किया अथवा ऐसे परिरोध का दुष्प्रेरण किया ?

द– क्या अभियुक्तगण नरेन्द्र और सुशीलाबाई ने उक्त घटना दिनांक व घटना अवधि के दौरान अप्राप्तवय पीड़िता का व्यपरहण किया जाना जानते हुए पीड़िता को जयपुर राजस्थान में सदोष रूप से छिपाया या परिरोध में रखा अथवा दुष्प्रेरण किया?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार :–

विचारणीय बिंदु क्रमांक अ का निराकरण :–

06– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा–2 (घ) के अनुसार ''बालक'' से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। न्यायदृष्टांत **जरनेल सिंह विरूद्ध हरियाणा राज्य एआईआर 2013 एस.सी. 3467** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विधि का उल्लघंन करने वाले बालक एवं पीड़िता की आयु का निर्धारण किए जाने में कोई भी अंतर नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त न्यायदृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी बालक की आयु का निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम 2007 की धारा 7ए एवं नियम 12(3) के अनुसरण में किया जाना चाहिए। न्यायदृष्टांत **सनत कुमार यादव विरूद्ध म.प्र. राज्य, आपराधिक पुनरीक्षण कं 3049/2016 के निर्णय दिनांक 02.01.2017** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 7 एवं धारा 7ए और उक्त अधिनियम के बनाए गए

नियम अंतर्गत 12(3) के उपबंधों को कुछ संशोधन के उपरांत किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94(2) में अंगीकृत किया है।

07— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94(2) प्रावधान करती है कि यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार हैं कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो, यथास्थिति, समिति या बोर्ड, निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रकिया का जिम्मा लेगा— (1) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या सम्तुल्य प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में, (2) निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र (3) उपरोक्त (1) या (2) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जॉच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जॉच के आधार पर किया जाएगा।

08— उपरोक्त न्यायदृष्टांतो के आलोक में तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94(2) के उपबंधों के अधीन किसी भी पीड़ित/अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाना है। इस संबंध में स्वयं पीड़िता की माता (अ.सा.02) एवं पीड़िता के पिता (अ.सा.03) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि पीड़िता कक्षा 8वी तक पढ़ी—लिखी है और उसकी वर्तमान में आयु 17 वर्ष है। उक्त साक्षीगण ने यह भी प्रकट किया है कि पीड़िता की जन्म दिनांक 15.12.2007 है। पीड़िता को स्कूल में भर्ती कराने उसके पिता लेकर गये थे। उक्त साक्षी पीड़िता की माता अ.सा.02 ने पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—12 को भी साक्ष्य में प्रदर्शित कराया है।

09— अनुसंधानकर्ता भोजराज परमार (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि उसने ज्योति बाल मंदिर, खरगोन के प्रधान अध्यापक हेमेन्द्र गुप्ता के पेश करने पर पीड़िता के जन्म के संबंध में स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर का स्कॉलर क्रमांक 819 की सत्यापित छायाप्रति (प्रदर्श पी—21सी) को जप्त कर जप्ती पंचनामा (प्रदर्श पी—19) तैयार किया था।

10— हेमेन्द्र गुप्ता (अ.सा.04) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं को ज्योति बाल मंदिर, खरगोन में प्रभारी प्रधान पाठक होना प्रकट करते हुए स्कॉलर रजिस्टर की प्रति प्रदर्श—पी.21 एवं उसकी छायाप्रति प्रदर्श—पी.21सी को साक्ष्य में प्रदर्शित कराया है। उक्त साक्षी ने प्रकट किया है कि उक्त स्कॉलर रजिस्टर (प्रदर्श—पी.21सी) के स्कॉलर क्रमांक 819 पर पीड़िता का नाम ए से ए भाग पर दर्ज होकर बी से बी भाग पर पीड़िता की जन्म दिनांक 15.12.2007 का उल्लेख है। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि पीड़िता ने उनकी शाला में दिनांक 30.06.2012 को कक्षा नर्सरी में प्रवेश लिया था। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसके द्वारा उक्त स्कॉलर रजिस्टर से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—22 का पुलिस को प्रस्तुत किया था।

11— इस प्रकार उपरोक्त समस्त अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने कथनों एवं उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी—12, प्रदर्श पी—21सी आदि के माध्यम से पीड़िता की आयु घटना के समय 18 वर्ष से कम होना दर्शाया है। यद्यपि उक्त हेमेन्द्र गुप्ता (अ.सा.04) के प्रतिपरीक्षण के चरण क्रमांक 06 में यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है कि पीड़िता को उसके द्वारा उक्त विद्यालय में भर्ती नहीं किया गया था, किंतु यहा यह उल्लेखनीय है कि स्वयं पीड़िता की माता (अ.सा.02), पीड़िता के पिता (अ.सा.03) ने घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होना प्रकट किया है। प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी—12) मे भी

पीड़िता की जन्म दिनांक 15.12.2007 का उल्लेख है। उक्त साक्षी हेमेन्द्र गुप्ता ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को पूर्णतः नकार दिया है कि भर्ती करते समय पीड़िता के परिवार वालों ने कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये थे और पीड़िता की जन्म दिनांक नहीं बताई थी। वहीं माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **विधि से संघर्षरत बालक विरूद्ध म.प्र. राज्य, न्यूट्रल साईटेशन 2024:एम.पी.एच.सी.—जी.डब्ल्यु.एल.:2924**, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्कूल का स्कॉलर रजिस्टर धारा 94 जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आने वाला दस्तावेज है, जो आयु निर्धारण के लिए योग्य है।

12— अतः उक्त न्यायदृष्टांत में अवधारण के आलोक में उक्त प्रतिपरीक्षण से अभियुक्त को कोई लाभ होना प्रकट नहीं है, जबकि न्यायदृष्टांत **ऋषिपालसिंह सोलंकी विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य, लाइव लॉ 2021 एस.सी. 667** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्कूल का रिकार्ड आयु निर्धारण के लिए उतना ही महत्व रखता है, जितना कि एक शासकीय दस्तावेज जो शासकीय कर्तव्य के निर्वाहन के दौरान संधारित किये जाते हैं। वैसे भी इस वर्तमान प्रकरण में उक्त प्रविष्टि घटना दिनांक से कई वर्ष पहले की होकर अभियुक्त को तत्कालीन प्रधान पाठक ने किस आधार पर जन्म दिनांक दर्ज की थी, संबंधी सुझाव से कोई लाभ प्राप्त होना प्रकट नहीं है।

13— उक्त प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—12 एवं स्कॉलर रजिस्टर (प्रदर्श पी—21सी) की प्रविष्टियॉ घटना के पूर्व की भी है। न्यायदृष्टांत **उमेशचंद्र विरूद्ध राजस्थान राज्य(1982) 2 एस.सी.सी.202** एवं **बिहार राज्य विरूद्ध राधाकृष्ण सिंह ए.आई.आर.1983 सुप्रीम कोर्ट 684** में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जो दस्तावेज घटना के पूर्व तैयार किए हों, उन पर विश्वास किया जा सकता है। अतः प्रदर्श पी–12, प्रदर्श पी–21सी के उपरोक्त प्रमाण पत्र व स्कूल अभिलेख, उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में ग्राहय होकर अत्यधिक महत्व के है व अखंडनीय रहे हैं और पीड़ित पक्ष ने आयु 18 वर्ष से कम होना की पुष्टि भी की है।

14– यद्यपि पीड़िता की पिता (अ.सा.03) ने प्रतिपरीक्षण के चरण–17 में यह स्वीकारा है कि उसकी शादी को 24 से 25 वर्ष हो गये हैं और वर्ष 2000 में उसकी शादी हुई थी। उसके तीन बच्चे हैं और सभी बच्चों में दो–दो साल का अंतर है, किंतु वे सभी सुझाव अंदाज पर आधारित होकर माता–पिता की आयु, विवाह वर्ष व संतानों के मध्य जन्म अंतर को अंदाज से गणना दर्शाने से अभियुक्तगण को कोई लाभ होना प्रकट नहीं है, क्योकि उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र व स्कूल अभिलेखीय दस्तावेज, उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में ग्राहय, अत्यधिक महत्व के व अखंडनीय निर्धारित किये हैं और पीड़ित पक्ष ने आयु 18 वर्ष से कम होना की पुष्टि भी की है। उक्त प्रतिपरीक्षण मे माता–पिता की आयु की अंदाज आधारित गणना का कोई महत्व नही रह जाता है।

15– अतः उपरोक्त पीड़िता की माता (अ.सा.02), पीड़िता के पिता (अ.सा.03) तथा हेमेन्द्र गुप्ता (अ.सा.04) के कथन और प्रदर्श पी–12, प्रदर्श पी–21सी, प्रदर्श पी–22 आदि के आधार पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के अंतर्गत पीड़िता की जन्म दिनांक 15.12.2007 होना प्रमाणित है, जिसके अनुसार घटना दिनांक 27.06.2022 को पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होना प्रमाणित है।

विचारणीय बिंदु क्रमांक (ब) लगायत (द) का निराकरण :–

16– साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए एवं सुविधा की दृष्टि से इन विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

17– भारतीय दंड संहिता की धारा 361 यह प्रावधान करती है कि जो कोई किसी अप्राप्तवय को यदि वह नर हो, तो 16 वर्ष से कम आयु का या यदि वह नारी हो, तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहकाकर ले जाता है, तब वह ऐसे अप्राप्तवय व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करना कहा जाता है। उक्त के आलोक में साक्ष्य का अवलोकन किया जावे, तो इस संबंध में पीड़िता (अ.सा.01) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं हुई थी। उसे कोई अपने साथ लेकर नहीं गया था। वह स्वयं उसके काका के घर सनावद गयी थी और तीन दिन बाद वापस अपनी मर्जी से घर आ गयी थी।

18– यद्यपि पीड़िता को पक्षद्रोही घोषित होने के पश्चात सूचक प्रश्न पूछे गये, किंतु उक्त साक्षी पीड़िता ने इस सुझाव को पूर्णतः नकार दिया कि वह बाल अपचारी को जानती थी और अभियुक्त संगीता अपने फोन से उसकी बात बाल अपचारी से करवाती थी। पीड़िता ने यह सुझाव भी पूर्णतः नकार दिया है कि बाल अपचारी उसे बस में बैठाकर कसरावद ले गया था और मंगलसूत्र पहनाकर मांग भर दी थी और उसे महाराष्ट्र ले गया था जहां पर आरोपी नरेंद्र और संगीताबाई भी महाराष्ट्र में आ गये थे। पीड़िता ने यह सुझाव भी पूर्णतः नकार दिया है कि फिर बाल अपचारी उसे जयपुर ले गया था। स्वयं पीड़िता ने अपने प्रतिपरीक्षण के चरण 19 में भी इस सुझाव को

स्वीकार कर लिया है कि उसके साथ कोई घटना कारित नहीं हुई और वह अपनी मर्जी से अपने काका के घर गयी थी और स्वयं अपनी मर्जी से अपने माता–पिता के घर वापस आ गयी थी। चरण क्रमांक 15 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण संगीताबाई और मोहन उसके बुआ और फुफा हैं जिनका विवाद उसके पिता से चल रहा है और बातचीत बंद है।

19– पीड़िता की माता (अ.सा.02) एवं पीड़िता के पिता (अ.सा.03) ने भी अपने प्रति परीक्षण में आरोपी संगीता और मोहन से मकान का विवाद होना और बोलचाल बंद होना स्वीकार किया है। पीड़िता की माता ने अपने कथन के चरण 9 में इस सुझाव को पूर्णतः नकार दिया है कि बाल अपचारी पीड़िता से मिलने आया था और पीड़िता को महाराष्ट्र और फिर जयपुर ले गया था जहां पर नरेंद्र और सुशीला भी आ गये थे। उक्त दोनों साक्षीगण पीड़िता के माता और पीड़िता के पिता ने पुलिस कथन क्रमशः प्रदर्श पी. 18 और प्रदर्श पी. 20 का ए से ए भाग पुलिस को नहीं लिखाया जाना भी प्रकट किया है।

20– इस प्रकार मुख्य साक्षीगण पीड़िता, पीड़िता की माता, पीड़िता के पिता ने अभियोजन के विरूद्ध कथन दिये हैं और उन्होंने यह कहीं प्रकट नहीं किया है कि आरोपीगण नरेंद्र, सुशीला, संगीता और मोहन ने पीड़िता का व्यपहरण किया हो। जहां तक अभियुक्तगण नरेंद्र, सुशीला, संगीता और मोहन पर दुष्प्रेरण करने के आरोपों का प्रश्न है, तो मुख्य साक्षीगण ने आरोपीगण नरेंद्र, सुशीला, संगीता और मोहन के द्वारा सहयोग करने अथवा सहभागिता करने संबंधी कोई कथन नहीं दिये हैं जो कि उपरोक्त अभियुक्तगण की अपराध में सहभागिता को संदेहास्पद बनाता है।

21– दुष्प्रेरण के आरोपों के संबंध में अभियोजन पर यह साबित करने का भार होता है कि सह आरोपी द्वारा जानबूझकर अथवा साशय अथवा

अपराध के ज्ञान के साथ मुख्य आरोपी का सहयोग किया गया है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपराधी को अपराध करने में सहायता करने की जानकारी के बिना, मात्र सहायता कर देना दुष्प्रेरण की श्रेणी में नहीं आता है। धारा 108 भारतीय दंड संहिता के दृष्टांतों अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा आकस्मिक रूप से अथवा मित्रतापूर्ण उद्देश्य से किसी अपराधी की अंजाने में कोई सहायता की जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सहायता करने वाले व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है।

22– न्याय दृष्टांत **निहारबाला बेनर्जी विरूद्ध राज्य, 1988 SCC Online Cal 226** में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है कि–

> '' 24. It is clear from the above that in order to amount to abetment there must then be mens rea or community of intention. Without knowledge or intention there can be no abetment and the knowledge and intention must relate to the crime and the assistance must be something proximate and something more than a mere passive acquiescence.............................."

23– अन्य न्याय दृष्टांत **गुजरात राज्य विरूद्ध सुनील कुमार कन्हैयालाल जानी, 1997 सी.आर.एल.जे. 2014** तथा न्याय दृष्टांत **पद्माबाई विरूद्ध म.प्र. राज्य 1987 सी.आर.एल.जे. 1573** में भी समान रूप से यही अभिनिर्धारित किया गया है कि दुष्प्रेरण के लिये सह अभियुक्त द्वारा दुराशय अथवा ज्ञान के साथ सहयोग करना को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। इस वर्तमान प्रकरण में भी सह अभियुक्तगण नरेंद्र, सुशीला, संगीता और मोहन का घटना कारित करने संबंधी कोई पूर्व मस्तिष्क मिलन बाल अपचारी के साथ हुआ हो, ऐसी कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से अभिलेख पर नहीं है,

जो दुष्प्रेरण का अस्तित्व दर्शा सके। अतः सह आरोपी नरेंद्र, सुशीला, संगीता और मोहन द्वारा जानबूझकर/साशय अथवा अपराध के ज्ञान के साथ मुख्य आरोपी का सहयोग करना पूर्णतः अस्पष्ट है।

24– अन्य साक्षीगण अनुसंधानकर्ता बी.एल.मंडलोई (अ.सा.11 एवं भोजराज परमार अ.सा.10 तथा पूजा मोरे अ.सा.09, सियाराम डाबर अ.सा.08 और धर्मेंद्र सिंह अ.सा.07 ने अपने कथनों में क्रमशः दस्तयाबी पंचनामा प्रदर्श पी.01, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी. 13, मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी.27, 28 तथा ड्राफ्ट प्रदर्श पी.30 व जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी. 33, घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी.09, स्थान तस्दीक पंचनामा प्रदर्श पी. 24(त्रुटिवश पुनः प्रदर्श पी. 24 अंकित), नमूना जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी. 24, प्र.पी. 25 आदि तैयार करना व कार्यवाही करना प्रकट किया है किंतु मुख्य अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथा का कोई समर्थन नहीं करने एवं दुष्प्रेरण संबंधी साक्ष्य का अभाव आदि के कारण उक्त अनुसंधानकर्तागण की साक्ष्य का महत्व गौण है।

25– उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह अप्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण नरेंद्र, सुशीला, संगीता और मोहन ने दिनांक 27.06. 2022, समय 00:15–06:00 बजे स्थान फरियादी का घर, इंदिरा नगर उमरखली रोड, खरगोन से अप्राप्तवय पीड़िता को विधिपूर्ण संरक्षकता से, संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाकर उसका व्यपहरण किया अथवा ऐसे व्यपहरण का दुष्प्रेरण किया और यह भी अप्रमाणित है कि नरेन्द्र व सुशीलाबाई ने ऐसा व्यपहरण पीड़िता से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे विवश या विलुब्ध किया जायेगा, पीड़िता को जयपुर राजस्थान में सदोष रूप से छिपाया या परिरोध में रखा अथवा ऐसे परिरोध का दुष्प्रेरण किया तथा अप्राप्तवय पीड़िता का दस से अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध कारित किया अथवा ऐसे परिरोध का दुष्प्रेरण किया।।

26— फलस्वरूप अभियुक्त नरेंद्र, सुशीला, संगीता और मोहन को धारा 363 एवं धारा 363/109 भा.द.सं., तथा अभियुक्तगण नरेन्द्र और सुशीलाबाई को धारा 368 एवं धारा 368/109 भा.द.सं. एवं धारा 344 तथा 344/109 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। उन्हें स्वतंत्र किया जावे।

27— अभियुक्तगण के द्वारा विचारण और अन्वेषण के दौरान बितायी गयी अभिरक्षा की अवधि को कारावास की अवधि से मुजरा करने बाबत धारा 428 दप्रस का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

28— अभियुक्तगण के नियमित जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

29— प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री के संबंध में अभी कोई आदेश नहीं किया जा रहा है क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बाल अपचारी का विचारण लंबित है।

30— प्रकरण के मुख पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण नष्ट न किया जावे क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बाल अपचारी का विचारण लंबित है।

31— धारा 365 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत निर्णय की एक प्रति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, खरगोन की ओर प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित ।

सही/—
{ रवि झारोला }
अनन्यतः विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

सही/—
{ रवि झारोला }
अनन्यतः विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

RAVI ZAROLA

Digitally signed by RAVI ZAROLA
Date: 2025.08.14 16:57:18 +0530